रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112020-223290
CG-DL-E-24112020-223290

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 520] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 24, 2020/अग्रहायण 3, 1942
No. 520] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 24, 2020/AGRAHAYANA 3, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

फा. सं. पीएनजीआरबी/वाणि./2-एनजीपीएल प्रशुल्क (2)/2012(पी-3116) - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 के उप-खंड (2) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (असंतुलन प्रबंधन सेवाएं) विनियम, 2016 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण:

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (असंतुलन प्रबंधन सेवाएं) तृतीय संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (असंतुलन प्रबंधन सेवाएं) विनियम, 2016 में, -

(i) विनियम 1 में, उप-विनियम (2) का लोप किया जाएगा;

(ii) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (घ) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा अर्थात्:-

"(घक) प्रचालनात्मक संतुलन समझौता" ("ओबीए")" का अर्थ है सहमत डिलीवरी और प्राप्ति बिंदुओं पर प्राकृतिक गैस की निर्धारित और वास्तविक मात्रा में अंतर को संतुलित करने के संबंध में परस्पर संबद्ध प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के ट्रांसपोर्टरों के बीच समझौता;";

(iii) विनियम 3 में, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"3. अनुप्रयोग

ये विनियम, विनियम 9, 17, 18 के प्रावधानों के तहत कवर की गई समर्पित पाइपलाइन अर्थात् प्राकृतिक गैस पाइपलाइन पर लागू होंगे, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए संस्थाओं को प्राधिकृत करना), विनियम, 2008 के विनियम 19 के उप-विनियम (1) या (2) के प्रावधानों के तहत एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (2) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी नीति निर्देश के अनुसरण में बोर्ड द्वारा अधिकृत एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में परिवर्तित हो जाती है।";

(iv) विनियम 4 में,

(क) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) बशर्ते कि ट्रांसपोर्टर पाइपलाइन क्षमता की उपलब्धता और किसी भी शिपर की सेवाओं को प्रभावित किए बिना, परिवहन असंतुलन को प्रबंधित करने के लिए शिपर को निम्नलिखित असंतुलन प्रबंधन सेवाएं प्रदान करेगा:-

(क) पार्किंग सेवा का आशय एक ऐसी सेवा से होगा जिसके तहत ट्रांसपोर्टर और शिपर एक दिन की योजना पर सहमत होते हैं जो पाइपलाइन में शिपर की प्राकृतिक गैस की स्वीकृत मात्रा की प्राप्ति के लिए पाइपलाइन में पार्किंग के लिए एक या एक से अधिक सहमत बिंदुओं पर और बाद में दिन के हिसाब से ट्रांसपोर्टर द्वारा शिपर को सहमत मात्रा में पुनः डिलीवरी, या तो उसी बिंदु पर या पाइपलाइन पर किसी अन्य बिंदु पर की जाएगी:

बशर्ते कि शिपर जो विक्रेता या व्यापारी हैं, वे भी ट्रांसपोर्टर से एक समझौते के माध्यम से गैस को एक बिंदु से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में संचरण सेवाओं के लिए कोई क्षमता बुक किए बिना उक्त सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

बशर्ते आगे कि यदि स्थल या अनेक स्थल, जिन पर प्राकृतिक गैस प्राप्त की जाती है, से भिन्न होते हैं, तो ऐसे स्थल या स्थलों जिन पर ऐसी गैस को फिर से वितरित किया जाना है, उसके लिए शिपर ट्रांसपोर्टर को लागू परिवहन शुल्क का भी भुगतान करेगा।

आगे यह भी कि पार्क की गई प्राकृतिक गैस लेकिन जिसे सहमत अवधि के भीतर वापस नहीं लिया गया है, को एक सकारात्मक असंतुलन माना जाएगा तथा इस पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या संविदा वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए पहुंच संहिता), विनियम 2008 के अनुसार निपटा जाएगा। पार्क की गई प्राकृतिक गैस, लेकिन जिसे विक्रेताओं या व्यापारियों द्वारा सहमत अवधि के भीतर वापस नहीं लिया गया हो, जिन्होंने ट्रांसपोर्टर से ट्रांसमिशन सेवाओं का लाभ नहीं लिया है, उन पर भी उसी तरह से निपटा जाएगा जैसे कि ट्रांसपोर्टरों से ट्रांसमिशन की सुविधा पाने वाले शिपर्स के लिए लागू होता है;

(ख) ऋण देने की सेवा, जिसका अर्थ एक ऐसी सेवा होगी जिसके तहत ट्रांसपोर्टर और शिपर एक या अधिक सहमत बिंदुओं पर शिपर द्वारा प्राकृतिक गैस की स्वीकृत मात्रा को उधार देने के लिए एक दिन की योजना पर सहमत होते हैं और बाद में शिपर द्वारा ट्रांसपोर्टर को एक ही बिंदु पर या पाइपलाइन पर किसी अन्य बिंदु पर सहमत दिन के हिसाब से ऐसी उधार ली गई मात्रा को लौटाते हैं।

बशर्ते कि शिपर जो कि विक्रेता या व्यापारी हैं, वे भी ट्रांसपोर्टर से एक समझौते के माध्यम से उक्त सेवा का लाभ उठा सकते हैं, जिन्होंने प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में ट्रांसमिशन सेवाओं के लिए गैस को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने की कोई क्षमता बुक नहीं की है।

बशर्ते आगे यह कि यदि जिस बिंदु या बिंदुओं पर प्राकृतिक गैस को उधार दिया जाता है, वह उस बिंदु या बिंदुओं से भिन्न होती हैं, जिस पर ऐसी गैस लौटाई जाती है, तो शिपर ट्रांसपोर्टर को लागू परिवहन शुल्क का भी भुगतान करेगा।

आगे यह भी कि उधार ली गई प्राकृतिक गैस लेकिन जिसे सहमत अवधि के भीतर लौटाया नहीं गया है, को एक नकारात्मक असंतुलन पैदा करने वाला माना जाएगा तथा इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या संविदा वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए पहुंच संहिता), विनियम 2008 के अनुसार निपटा जाएगा। उधार ली गई प्राकृतिक गैस, लेकिन जिसे विक्रेताओं या व्यापारियों द्वारा सहमत अवधि के भीतर लौटाया नहीं गया है, जिन्होंने ट्रांसपोटर्र से ट्रांसमिशन सेवाओं का लाभ नहीं उठाया है, को भी उसी तरह से निपटा जाएगा जैसा कि उन शिपर्स के लिए लागू होता है जिन्होंने ट्रांसपोर्टर्स से ट्रांसमिशन सेवाएं ली हैं;

(ग) नेटिंग सेवा का अर्थ होगा ऐसी सेवा जिसके तहत शिपर ट्रांसपोर्टर के साथ विभिन्न गैस परिवहन समझौतों के तहत अपने सकारात्मक और नकारात्मक असंतुलन को दूर करता है; तथा

(घ) व्यापार सेवा का अर्थ एक ऐसी सेवा है जिसके तहत एक से अधिक शिपर अपने विभिन्न असंतुलन को कम करने के परिणामस्वरूप विभिन्न गैस परिवहन समझौतों के तहत अपने संबंधित सकारात्मक और नकारात्मक असंतुलन को दूर करते हैं।";

(ख) उप-विनियम (4) में, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(4) ट्रांसपोर्टर शिपर से उप-विनियम (1) के खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट असंतुलन प्रबंधन सेवाओं के लिए, प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट ("एमएमबीटीयू") दस रुपए से अधिक की राशि और उप-विनियम (1) के खंड (ग) और (घ) में निर्दिष्ट सेवाओं के लिए प्रति एमएमबीटीयू एक रुपए से अधिक की राशि का प्रभार नहीं लेगा। उक्त प्रभार लेनदेन पर लागू सभी करों और शुल्कों के अलावा होगा।"

(ग) उप-विनियम (5) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5) उप-विनियम (1) में उल्लिखित असंतुलन प्रबंधन सेवाओं से ट्रांसपोर्टर को दी गई राशि के पचास प्रतिशत को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008 के तहत टैरिफ के निर्धारण के लिए विविध आय के रूप में माना जाएगा।

बशर्ते कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए संस्थाओं को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 9 के तहत प्राधिकृत पाइपलाइनों के संबंध में उप-विनियम (1) में उल्लिखित असंतुलन प्रबंधन सेवाओं से ट्रांसपोर्टर को दी जाने वाली राशि का पचास प्रतिशत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या संविदा वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए पहुंच संहिता), विनियम, 2008 में विनिर्दिष्ट अनुसार समय और तरीके से बोर्ड द्वारा बनाए गए एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा।";

(घ) उप-विनियम (8) में, कोष्ठक और शब्दों "(आस्थगित वितरण सेवाओं के अलावा)" का लोप किया जाएगा;

(ड.) उप-विनियम (8) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"(9) ओबीए के तहत, प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के इंटरकनेक्ट बिंदु पर सभी असंतुलन प्रचालनात्मक असंतुलन हैं और इन्हें केवल ओबीए की पार्टियों द्वारा ठीक किया जा सकता है और यदि दो इंटरकनेक्टेड पाइपलाइन के ट्रांसपोर्टर्स ने ओबीए करार किया है, तो ट्रांसपोर्टर दोनों ट्रांसपोर्टरों से असंतुलन प्रबंधन सेवाओं का लाभ उठाने वाले शिपर के असंतुलन की मात्रा को मापने के लिए एक गैस संतुलन नेटवर्क के रूप में विचार करेंगे।

(10) ट्रांसपोर्टर अपनी वेबसाइट पर लागू प्रभार के साथ असंतुलन प्रबंधन सेवाओं के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रकाशित करेगा।

(11) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन, या विस्तार करने के विपणन में लगी संस्थाओं के लिए संबद्ध आचार संहिता), विनियम 2008 इन विनियमों के तहत उल्लिखित सेवाओं पर लागू नहीं होंगे।"

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./379/2020]

पाद टिप्पणी : मूल विनियमों को फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/48, दिनांक 29 अप्रैल, 2016 द्वारा अधिसूचित किया गया था और इसमें बाद में फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/48, दिनांक 23 मार्च, 2018, फा.सं. पीएनजीआरबी/ वाणि./2-एनजीपीएल प्रशुल्क (2)/2012, दिनांक 19 जून, 2020 और फा.सं. पीएनजीआरबी/ वाणि./2-एनजीपीएल प्रशुल्क (2)/2012(पी-910), दिनांक 11 नवंबर, 2020 द्वारा संशोधन किया गया था।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2020

F. No. PNGRB/COM/2-NGPL Tariff (2)/2012 (P-3116)—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Imbalance Management Services) Regulations, 2016, namely: –

1. **Short title and commencement.**

    (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Imbalance Management Services) Third Amendment Regulations, 2020.

    (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Imbalance Management Services) Regulations, 2016, –

    (i) in regulation 1, sub-regulation (2) shall be omitted;

    (ii) in regulation 2, in sub-regulation (1), after clause (d) the following clause shall be inserted, namely: –

    "(da) operational balancing agreement (**"OBA"**)" means an agreement among the transporters of interconnected natural gas pipeline in respect of balancing the differences in the scheduled and actual quantities of natural gas at agreed delivery and receipt points;";

    (iii) for regulation 3, the following regulation shall be substituted, namely: -

    "**3. Application**.

    These regulations shall apply to a natural gas pipeline covered under the regulations 9, 17 and 18 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008, a dedicated pipeline which is converted into a natural gas pipeline under the provisions of sub-regulation (1) or (2) of regulation 19 of the said Regulations, 2008 and a natural gas pipeline authorized by the Board pursuant to a policy directive issued by the Central Government under sub-section (2) of section 42 of the Act.";

    (iv) in regulation 4,

    (a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

    "(1) Subject to availability of pipeline capacity and without affecting the services to any shipper, transporter shall provide the following imbalance management services to a shipper to manage transportation imbalances, namely: –

(a) parking service, which shall mean a service under which the transporter and shipper agree on a day-wise plan for receipt of agreed quantities of shipper's natural gas into the pipeline at one or more agreed points for parking in the pipeline and subsequent day-wise re-delivery of the agreed quantities by the transporter to shipper, either at the same point or any other point on the pipeline:

Provided that shippers which are marketers or traders may also avail the said service from the transporter without booking any capacity for the transmission services in the natural gas pipeline through an agreement:

Provided further that in case the point or points at which the natural gas is received is different than the point or points at which such gas is re-delivered, the shipper shall also pay to the transporter the applicable transportation tariff:

Provided also that the natural gas parked but not withdrawn within the agreed period shall be treated to have created a positive imbalance and dealt with in accordance with Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008. The natural gas parked but not withdrawn within the agreed period by the marketers or traders who have not availed the transmission services from the transporter shall also be dealt in a similar manner as applicable for shippers who have availed transmission services from transporters;

(b) lending service, which shall mean a service under which the transporter and shipper agree on a day-wise plan for lending of agreed quantities of natural gas by the transporter to shipper at one or more agreed points and subsequent agreed day-wise return of such loaned quantities by shipper to the transporter either at the same point or any other point on the pipeline:

Provided that shippers which are marketers or traders may also avail the said service from the transporter without booking any capacity for the transmission services in the natural gas pipeline through an agreement:

Provided further that in case the point or points at which the natural gas is loaned is different than the point or points at which such gas is returned, the shipper shall also pay to the transporter the applicable transportation tariff:

Provided also that natural gas loaned but not returned within the agreed period shall be treated to have created a negative imbalance and dealt with in accordance with Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008. The natural gas loaned but not returned within the agreed period by the marketers or traders who have not availed the transmission services from the transporter shall also be dealt in a similar manner as applicable for shippers who have availed transmission services from transporters;

(c) netting service, which shall mean a service under which the shipper offsets its positive and negative imbalances under different Gas Transportation Agreements with the transporter; and

(d) trading service, which shall mean a service under which more than one shippers offset their respective positive and negative imbalances under different Gas Transportation Agreements resulting into reduction of their total imbalances." ;

(b) for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

"(4) The transporter shall charge from the shipper an amount not exceeding rupees ten per Million British Thermal Unit ("MMBTU"), for imbalance management services referred to in clauses (a) and (b) of sub-regulation (1) and an amount not exceeding rupee one per MMBTU, for services referred to in clause (c) and (d) of sub regulation(1).The said charges shall be excluding all taxes and duties as applicable to the transaction."

(c) for sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

"(5) Fifty per cent of the amounts accrued to the transporter from imbalance management services referred to in sub-regulation (1) shall be considered as miscellaneous income for determination of tariff under Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008:

Provided that fifty percent of the amounts accrued to the transporter from imbalance management services referred to in sub-regulation (1) in respect of pipelines authorised under regulation 9 of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008 shall be deposited in the Escrow account maintained by the Board within the time and manner as specified in Petroleum and Natural gas Regulatory Board (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipelines), Regulations, 2008.";

(d) in sub-regulation (8), the brackets and words "(besides deferred delivery services)" shall be omitted;

(e) after sub-regulation (8), the following sub-regulations shall be inserted, namely: –

"(9) Under an OBA, all the imbalances at the interconnect point of natural gas pipelines are operational imbalances and may be cured only by the parties to an OBA and in case transporters of two interconnected pipeline have entered into an OBA, then, the transporters shall consider the two pipelines as single gas balancing network for measuring the imbalance quantities of the shipper who has availed the imbalance management services from both the transporters.

(10) Transporter shall publish relevant information about imbalance management services along with the applicable charges on its website.

(11) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Affiliate Code of Conduct for Entities Engaged in Marketing of Natural Gas and Laying, Building, Operating, or Expanding Natural Gas Pipeline) Regulations, 2008 shall not be applicable to the services mentioned under these regulations."

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./379/2020]

Foot Note : The Principal regulations were notified vide F.No. PNGRB/M(C)/48, dated 29th April, 2016 and subsequently amended vide F.No. PNGRB/M(C)/48, dated 23rd March, 2018 and F.No. PNGRB/COM/2-NGPL Tariff (2)/2012, dated 19th June, 2020 and F. NO. PNGRB/COM/2-NGPL Tariff (2) /2012 (P-910), dated 11th November,2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA